स्कूल शिक्षा विभाग
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, म.प्र.
राज्य शिक्षा केन्द्र

पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011
दूरभाष : (0755) 2552365, 2768390, 91, 92, 94, 95

निविदा सूचना प्रकाशन

क्रमांक/राशिके/पाठ्यक्रम–मीडिया/2022/6549 भोपाल, दिनांक 23/11/2022

विभिन्न पाठ्य सामग्री की कम्पोज़िंग, आकल्पन, चित्राकंन आदि कार्यों की दर निर्धारण एवं संस्था चयन करने हेतु निविदा आमंत्रण सूचना

राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा सम सामायिक रुप से विभिन्न पाठ्य सामग्री की कम्पोज़िंग, आकल्पन, चित्राकंन आदि कार्य करवाये जाते हैं। उक्त कार्यो हेतु अनुभवी एवं साधन सम्पन्न संस्थाओं का चयन किया जाकर संबंधित कार्यो हेतु द्विवार्षिक रूप से कार्यालयीन दरों का निर्धारण किया जाना है।

उक्त कार्य के लिए नियम, शर्ते तथा अन्य जानकारी राज्य शिक्षा केन्द्र, पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल के मीडिया कक्ष से कार्यालयीन समय एवं कार्य दिवसों में, प्रकाशन तिथि से निविदा प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित तिथि एवं अंतिम समय के पूर्व तक निविदा फार्म का मूल्य 500 रूपये नगद/बैंकड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर प्राप्त की जा सकती है। टेण्डर डाक्यूमेंट जमा करने की **अन्तिम तिथि 16 दिसम्बर 2022 को अपरान्ह 12:00 बजे तक निर्धारित है। प्राप्त निविदाएं उसी दिवस अपरांह 2:30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेंगी।** यह विज्ञापन तथा तत्संबंधी नियम, शर्ते व अन्य जानकारी एज्युकेशन पोर्टल www.educationportal.mp.gov.in से भी डाउनलोड की जा सकती हैं।

(धनराजू एस) 23/11/2022
संचालक
एससीईआरटी एवं
राज्य शिक्षा केन्द्र

Scanned with CamScanner

प्रपत्र–1

विभिन्न पाठ्य सामग्री की कम्पोज़िंग, आकल्पन, चित्राकंन आदि कार्यों के लिये संबंधित संस्था का विवरण संस्था अपने लेटर पैड पर स्वच्छ रूप में निम्नानुसार पत्रक, लिफाफा क्र. 1 में प्रस्तुत करें

फर्म का नाम एवं पता	
दूरभाष क्रमांकः	
धरोहर राशि के बैंक ड्राफ्ट/ एफ.डी. का क्रमांक एवं दिनांक	
राशि (अंकों एवं शब्दों में)	
फर्म का जी.एस.टी. पंजीयन क्रमांक (प्रति संलग्न करें)	
फर्म का पंजीयन क्रमांक (प्रति संलग्न करें)	

संस्था द्वारा पिछले तीन वर्षो में कृत समविषयक कोई 15 विशिष्ट कार्यों का विवरण

क्र.	समयावधि (वर्ष)	कृत कार्य का विवरण	कार्य आवंटन करने वाली संस्था का नाम एवं पता	कार्य की कुल समयावधि	प्राप्त भुगतान की राशि
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
11					
12					
13					
14					
15					

संस्था की पिछले तीन वर्षो की वार्षिक आय–व्यय विवरणी
(अंकेक्षक द्वारा प्रमाणित प्रतियां संलग्न करें)

प्रमाणित किया जाता है कि, उपरोक्त जानकारी एवं संलग्न छायाप्रति दस्तावेज सत्य एवं सही हैं। मेरे द्वारा उक्त कार्य हेतु राज्य शिक्षा केन्द्र की नियम एवं शर्तो का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर लिया गया है एवं मैं उनसे पूर्णतः सहमत हूँ।

हस्ताक्षर (संस्था की सील सहित)
दर प्रदाय कर्ता

Scanned with CamScanner

स्कूल शिक्षा विभाग
राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, म.प्र.
राज्य शिक्षा केन्द्र
पुस्तक भवन, बी–विंग, अरेरा हिल्स, भोपाल–462011

विभिन्न पाठ्य सामग्री की कम्पोज़िंग, आकल्पन, चित्राकंन आदि कार्यो की दर निर्धारण एवं संस्था चयन करने हेतु दर आमंत्रण सूचना संबंधी निविदा की विस्तृत जानकारी एवं शर्ते

1. कार्यालय द्वारा, सम सामायिक रुप से करवाये जाने वाले, विभिन्न पाठ्य सामग्री की कम्पोज़िंग, आकल्पन, चित्राकंन, पीडीएफ/सी.डी. निर्माण आदि कार्यो हेतु अनुभवी एवं साधन सम्पन्न संस्थाओं का चयन एवं द्विवार्षिक रुप से दरों का निर्धारण किया जाना है।
2. उक्त निर्धारित दरें एवं चयनित संस्थाओं की कार्य अवधि, संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र के अनुमोदन से वार्षिक कार्यअवधि कालातीत होने के पश्चात आवश्यकतानुसार 01 वर्ष या संचालक राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा तय समय तक और बढ़ायी जा सकेगी।
3. आवंटित कार्य की, ओपन साफ्ट कॉपी एवं जेपीजी/पीडीएफ प्रतियां, उच्च क्वालिटी एवं ब्राण्ड की रीराइटेबल/नान् रिराइटेबल सी.डी./डी.वी.डी./पेन ड्राइव में प्रदत्त करना होगा। जिसके लिये पृथक से कोई शुल्क देय नही होगा।
4. संशोधन कार्य, प्रदत्त मूल स्वरुप में (ओपन फाईल/कर्व फाईल/पीडीएफ/इमेज आदि) ही किया जाना होगा।
5. इच्छुक संस्थाएं अपनी दरें प्रस्तुत करने हेतु निर्धारित प्रपत्र, राज्य शिक्षा केन्द्र के मीडिया कक्ष से, कार्यालयीन दिवसों एवं समय में, रूपये 500 नगद/बैंकड्राफ्ट के माध्यम से जमा कर प्राप्त कर सकते है, जो कि वापसी योग्य नही होगा। निविदा प्रपत्र जमा करने की **अंतिम तिथि दिनांक – 16 दिसंबर 2022 को अपरांह 12 बजे तक**, संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र, भोपाल के नाम देय, वापसी योग्य धरोहर राशि रुपये 20,000/– के बैंक ड्राफ्ट/एफ.डी. सहित राज्य शिक्षा केन्द्र के द्वितीय तल स्थित, आवक–जावक कक्ष में रखी निविदा पेटी में जमा कर सकते हैं। **प्राप्त निविदाएं उसी दिवस, अपरांह 2:30 बजे उपस्थित निविदाकारों के समक्ष खोली जायेंगी।** धरोहर राशि प्रस्तुत न किये जाने की दशा में प्रेषित/प्रस्तुत निविदा को निरस्त कर दिया जावेगा।
6. चार्टर्ड अकाउन्टेड द्वारा सत्यापित वर्ष 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 का टर्नओवर प्रमाण पत्र।
7. यह सूचना संबंधित कार्यो हेतु कार्यालयीन दरों के निर्धारण एवं योग्य संस्थाओं के चयन हेतु है। जिसके तहत प्रस्तावित दरों के प्रोफार्मा में कार्य समूह 1 के मुख्य कार्यो (जिनकी लागत अधिक है) हेतु प्राप्त न्यूनतम दरों के आधार पर फर्मों का चयन किया जाएगा। जिस फर्म की दर मुख्य कार्यो के लिए कम होगी, उसे कार्य समूह–2 के अन्य कार्यो हेतु प्राप्त न्यूनतम दर पर ही अन्य कार्यो के लिए अनुबंधित किया जाएगा। यदि एक से अधिक फर्म की दरें न्यूनतम/समान होती है तो विगत तीन वर्षो 2018–19, 2019–20 तथा 2020–21 के लिए जिस फर्म का चार्टर्ड अकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित टर्नओवर अधिक होगा, उसे चयनित किया जाएगा।
8. संस्थाओं के द्वारा, प्रपत्र–01 एवं उससे संबंधित दस्तावेज यथा (1) फर्म का पंजीयन प्रमाण–पत्र, (2) जीएसटी पंजीयन पमाण–पत्र, (3) उल्लेखित 15 मुख्य कार्यो का विवरण (4) चार्टर्ड अकाउन्टेड द्वारा प्रमाणित विगत 3 वर्षो (2018–19, 2019–20 तथा 2020–21) का टर्नओवर प्रमाण–पत्र एवं इन्ही वर्षो के आयकर विवरणी (ITR) आदि लिफाफा क्रमांक 01 में प्रस्तुत की जाऐंगी। जो कि संतोषप्रद पाये जाने पर ही उनकी प्रस्तावित दरें खोली जायेगी। लिफाफा क्रमांक 01 के ऊपर ***"विभिन्न पाठ्य सामग्री की कम्पोज़िंग, आकल्पन, चित्राकंन आदि कार्यों के लिये टेक्नीकल विवरण"*** अंकित करना होगा।

   कार्यालय द्वारा निविदा फार्म के साथ उपलब्ध कराये जा रहे प्रपत्र 02 अनुसार संस्थाओं के द्वारा उनकी प्रस्तावित दरें लिफाफा क्रमांक–02 में प्रस्तुत की जाऐंगी। लिफाफा क्रमांक 02 के ऊपर ***"विभिन्न पाठ्य सामग्री की कम्पोज़िंग, आकल्पन, चित्राकंन आदि कार्यों के लिये वित्तीय दरें"*** अंकित करना होगा।
9. चयनित संस्था द्वारा दी गई दरों के अतिरिक्त राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा किसी भी प्रकार के व्यय का भार/अधिभार आदि का भुगतान नहीं किया जावेगा।

–2

Scanned with CamScanner

10. सौंपे जाने वाले कार्य गुणवत्तापूर्ण एवं समय परक होना आवश्यक है। यदि चयनित संस्था द्वारा की गई किये गये कार्य गुणवत्तायुक्त एवं समय परक नहीं पाये गए तो संस्था को काली सूचीबद्ध किया जाकर उक्त कार्य राज्य शिक्षा केन्द्र द्वारा अन्य एजेन्सी से करवाया जावेगा एवं इस प्रकार के कार्य पर हुए अतिरिक्त व्यय की राशि चयनित संस्था से वसूल की जावेगी अथवा यह राशि चयनित संस्था द्वारा दी गई धरोहर राशि में से समायोजित कर ली जायेगी।
11. चयनित संस्था को कार्यादेश जारी करने की स्थिति में पूर्व प्रस्तुत धरोहर राशि रुपये 20,000/—मात्र को राज्य शिक्षा केन्द्र में परफारमेंस गारंटी के रूप में जमा कर लिया जायेगा। जो कि निविदा शर्तो के सफलतापूर्वक संपादन की स्थिति में निविदा समयसीमा पूर्ण होने के पश्चात वापसी योग्य होगी।
12. सभी भाषाओं के आंवटित कार्य संपादन हेतु समय सीमा निम्नानुसार होगी—

क्र.	**कम्पोज़िंग, आकल्पन कार्य** (मय टायपिंग, टायटल, सब टायटल, बुलेट टायटल एवं रनिंग मेटर के, पृष्ठों के फोटोज़, ग्राफिक्स्, चार्ट, टेबलस्, डायग्रामस् आदि वांक्षित कार्य के समावेश एवं 02 श्वेत श्याम प्रूफ एवं 01 बहुरंगी फायनल प्रिंट सहित) इसमें नवीन कार्य एवं संशोधन कार्य भी शामिल हैं।	**निर्धारित समय सीमा**
01	1 से 10 पृष्ठ तक	1 दिवस
02	25 पृष्ठ तक	2 दिवस
03	50 पृष्ठ तक	4 दिवस
04	100 पृष्ठ तक	7 दिवस
05	150 पृष्ठ तक	10 दिवस
06	200 पृष्ठ तक	15 दिवस
07	250 पृष्ठ तक	18 दिवस
08	**डिजीटल आकल्पन/प्रिंटिंग कार्य** विभिन्न कार्यक्रमों हेतु स्टेण्डीज/बैकड्रॉप आदि के लिए विभिन्न आकारों में डिजीटल आकल्पन/प्रिंटिग कार्य। (इन डिजाईन/कोरल साफ्टवेयर की ओपन फाइल एवं पीडीएफ/जेपीजी फाइल में)	1 दिवस
09	**पूर्व आकल्पित सामग्री की पीडीएफ फाईल का निर्माण** (पूर्व आकल्पित पाठ्यपुस्तकों/सामग्री को कम्प्रेस कर 50 एम.बी. तक की पीडीएफ फाईल का निर्माण)	2 दिवस
10	**ब्रोशर आकल्पन** (फोटोज़, टेक्स्ट मेटर की कम्पोजिंग, ग्राफिक्स्, चार्ट, टेबलस्, डायग्रामस् आदि वांक्षित कार्य। 02 श्वेत श्याम प्रूफ एवं 01 बहुरंगी फायनल प्रिंट सहित)	2 दिवस

13. यदि चयनित संस्था द्वारा संपादित किये जाने वाले कार्य को समय सीमा के अन्दर पूर्ण नहीं किया तो निम्नानुसार पैनाल्टी काटी जावेगी।

विलम्ब अवधि	**काटी जाने वाली राशि**
अधिकतम 07 दिवसों तक	आदेशित कार्य के मूल्य का 2.5% प्रति दिवस
अधिकतम 15 दिवसों तक	आदेशित कार्य के मूल्य का 5% प्रति दिवस
15 दिवसों से अधिक अवधि के बाद	प्रदाय कर्त्ता संस्था का आदेश निरस्त कर परफारमेंश गारंटी राजसात की जायेगी। साथ ही संस्था को कालीसूचीबद्ध करने की कार्यवाही की जायेगी।

14. ऐजेन्सी द्वारा प्रस्तुत देयक में नियमानुसार टी.डी.एस./अन्य योग्य करों की राशि काटी जावेगी।
15. दरों को अंकित करतें समय यह सुनिश्चित करें, कि उसमें किसी प्रकार का उपरिलेखन न हो। काट-छांट होने की स्थिति में उसे स्पष्ट रूप से काटा जाकर, संस्था के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाये।
16. संलग्न पत्रक के जिस पृष्ठ पर आपके द्वारा दरें अंकित की जायेगी वह पृष्ठ संस्था के जिम्मेदार पदाधिकारी द्वारा सील सहित हस्ताक्षरित होने अनिवार्य हैं।
17. राज्य शिक्षा केन्द्र के कार्य समन्वय अधिकारी द्वारा समय—समय पर दिये निर्देशों का पालन प्रदायकर्त्ता को मान्य करना होंगा।
18. दरें निर्धारण बाबत् या उसके मान्य/अमान्य किये जाने के बाबत् संचालक, राज्य शिक्षा केन्द्र का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।

23/11/22

अपर संचालक
राज्य शिक्षा केन्द्र

Scanned with CamScanner